



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 2012/चैत्र 10, 1934

No. 152]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 2012/CHAITRA 10, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2012

सा.का.नि. 270(अ).—भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की दिनांक 19 मई, 2010 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 426(अ) जो भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में पृष्ठ 1-22 पर प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 29 सितम्बर, 2011 के शुद्धि-पत्र सं. सा.का.नि. 733(अ) के साथ पठित थी, के पृष्ठ 12 पर नियम 1 के उप-नियम (2) को निम्नवत् पढ़ा जाएगा :—

“(2) वे 1 अक्टूबर, 2012 से प्रभावी होंगे।”

[फा. सं. एक्स-11014/4/2006-(डीएफक्यूसी)]

डॉ. अरुण के. पण्डा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम दिनांक 21 दिसम्बर, 1945 की अधिसूचना सं. एफ. 28-10/45-एच(1) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और इन्हें आखिरी बार 8 फरवरी, 2012 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 76(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th March, 2012

G.S.R. 270(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) No. G.S.R. 426(E), dated 19th May, 2010 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) at pages 1-22 of the Gazette of India, Extraordinary and read with the corrigendum G.S.R. 733(E), dated 29th September, 2011 at page 12, sub-rule (2) of rule 1, shall read as follows,—

“(2) They shall come into force with effect from 1st day of October, 2012.”

[F.No. X-11014/4/2006-DFQC]

Dr. ARUN K. PANDA, Jt. Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. F. 28-10/45-H (I), dated 21st December, 1945 and last amended vide Notification number G.S.R. 76(E), dated 8-2-2012.